



उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

बी.एड.(विशिष्ट शिक्षा)
प्रवेश सूचना विवरणिका
सत्र 2017—18

B.Ed. (Special Education)
Admission Information Brochure
Year 2017-18

बी० एड० (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता

इस कार्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता निम्न है—

1. बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रम में प्रवेश के लिए विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/मानविकी की स्नातक अथवा परास्नातक उपाधि कम से कम 50 प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त इंजोनियरिंग या तकनीकी, जिसमें विज्ञान एवं गणित की विशेषता हो, स्नातक अथवा परास्नातक में कम से कम 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अथवा इनके समतुल्य कोई अन्य अर्हता पाने वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
2. बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रम में प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जो या तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्रांकित दो विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किये हो अथवा अग्रांकित विषयों में से एक विषय स्नातक पर तथा एक विषय इण्टर स्तर पर लिये हों— हिन्दी, अंग्रेजी, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जन्तुविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, गृहविज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, तथा वाणिज्य।
3. प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को निम्न दशाओं में से किसी एक या अधिक की पूर्ति करने पर अधिकतम 10 अंक का अधिभार दिया जायेगा।
 - (a) विकलांग बच्चे के माता-पिता हों। या,
 - (b) स्वयं विकलांग हो। या,
 - (c) RCI द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स किया हो।
 अधिभार के अर्ह अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है कि वे (a) अधिकृत अधिकारी अर्थात् उत्तर प्रदेश के किसी जिले के जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत किया हुआ बच्चे का 40% या उससे अधिक विकलांगता का प्रमाण-पत्र (b) अधिकृत अधिकारी अर्थात् उ.प्र. के किसी जिले के जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत किया हुआ स्वयं का 40% या उससे अधिक विकलांगता का प्रमाण-पत्र (c) RCI द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स का प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र / आर.सी.आई. पंजीकरण प्रमाण-पत्र के साथ उपलब्ध कराये।

नोट :-1. अर्हता दिनांक 01.07.2017 को पूर्ण होनी चाहिए एवं इस हेतु अंक पत्र/प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा।

2. उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पी.डब्लू.डी. एवं अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को ही उ0प्र0 शासन के प्रविधानों अनुसार आरक्षण एवं छूट प्राप्त होगी। अन्य प्रदेशों के पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रवेश अनारक्षित श्रेणी (Open category) के अन्तर्गत दिया जायेगा।

3. विकलांगता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

क्र. सं.	विवरण	दिनांक
1.	प्रवेशी परीक्षा हेतु पंजीकरण एवं आवेदन प्रारम्भ	12 मई 2017
2.	प्रवेशी परीक्षा हेतु पंजीकरण तथा शुल्क चालान प्राप्ति/ऑनलाइन शुल्क ट्रान्सफर की अन्तिम तिथि	12 जून 2017
3.	ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि	17 जून 2017
4.	आनलाइन भरे आवेदन पत्र की हार्डकापी को ई-चालान की वि"वविद्यालय प्रति सहित प्रवेशी आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि	24 जून 2017
5.	प्रवेशी पत्र डाउनलोड करने की तिथि	08 जुलाई 2017
6.	प्रवेशी परीक्षा की तिथि	23 जुलाई 2017
7.	प्रवेशी परीक्षा परिणाम	अगस्त 2017 माह के प्रथम सप्ताह में
8.	प्रवेशी परामर्श प्रारम्भ	सितम्बर 2017 माह के प्रथम सप्ताह में

वि"ीश सूचना—इस प्रवेशी सूचना विवरणिका में दी गई सूचनाओं में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता अथवा विसंगति की स्थिति में वि"वविद्यालय अधिनियम परिनियम व अध्यादेशों में वर्णित व्यवस्था एवं वि"वविद्यालय का निर्णय ही अन्तिम होगा। कतिपय कारणों से अंकित विषयों में परिवर्तन की द"ा में यथासमय वि"वविद्यालय की वेबसाइट पर सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।

नोट—कृपया आप स्वयं अच्छी तरह से सुनिश्चित कर लें कि इस आवेदन पत्र में आपके द्वारा उल्लिखित जाति, वर्ग, अधिभार एवं अर्हता आदि से सम्बन्धित सूचनायें सही-सही भरी है। वि"वविद्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में आपके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर कार्यवाही की जायेगी एवं तत्सम्बन्धी सत्यापन प्रवेशी परामर्श के समय आपके द्वारा प्रस्तुत मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर किया जायेगा।

बी.एड.(विशिष्ट शिक्षा) प्रवेश सूचना सत्र 2016-17

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रम का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बालक, बालिकाओं के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति वाले व्यक्तियों को इन बालक-बालिकाओं की प्रकृति व अधिगम प्रक्रिया को समझने के साथ-साथ मूल्यांकन प्रविधियों, विद्यालय प्रबंध एवं विद्यार्थी सहायता हेतु विभिन्न क्रिया-कलाप करने आदि की क्षमताओं को विकसित कर माध्यमिक स्तर के अध्यापक तैयार करना है। बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रम 80 क्रेडिट का है। कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि 2 वर्ष 6 माह तथा अधिकतम अवधि 5 वर्ष है। उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में केवल मानसिक विकलांगता, श्रवण विकलांगता एवं दृष्टि विकलांगता से सम्बन्धित विशिष्टताओं में ही बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रम का संचालन कर रहा है। बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) में कुल 450 स्थान हैं। बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रम निम्न 09 केन्द्रों में (प्रत्येक में कुल 50 स्थान) इंगित किये गये विकलांगता के क्षेत्र के अन्तर्गत चलाया जा रहा है—

- 1) विकलांग केन्द्र, भारद्वाज आश्रम, इलाहाबाद (मानसिक मंदता) (S-951)
- 2) इसराजी देवी शिक्षण संस्थान, एल्लिन रोड, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद (दृष्टि बाधिता) (S-952)
- 3) उ.प्र. इंस्टीट्यूट फार द हेयरिंग हैण्डिकैप, जार्ज टाउन, इलाहाबाद (श्रवण विकलांगता) (S-953)
- 4) इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट फार द डिसेबल्ड, करौंदी, वाराणसी (मानसिक विकलांगता) (S-957)
- 5) चेतना, सेक्टर-सी, अलीगंज, लखनऊ (मानसिक विकलांगता) (S-956)
- 6) टी.डी. कालेज (विकलांग पुनर्वास केन्द्र), जौनपुर (मानसिक विकलांगता) (S-959)
- 7) ट्रेनिंग कालेज फार टीचर्स आफ द डेफ, ऐम्बाग, लखनऊ (श्रवण विकलांगता) (S-960)
- 8) खादी ग्रामोद्योग विकास समिति बंधवा, ताहिरपुर, झूँसी, इलाहाबाद, (श्रवण विकलांगता)(S-961)

- 9) फ्रेंड्स ऑफ हैण्डीकैप्ड, इण्डिया, स्वामी सत्यानन्द सरस्वतिम 'वाणी' सेण्टर फार हियरिंग, एण्ड मेन्टली रिटार्डेड चिल्ड्रेन, पी-1, पल्लवरपुरम्, फेज-II मेरठ-250110 (श्रवण विकलांगता) (S-963)

भारतीय पुनर्वास परिषद की अनुमति मिलने पर वि०विद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्रों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है, जिसकी सूचना प्रवे० पराम० साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों को दे दी जायेगी।

प्रवेश पात्रता

इस कार्यक्रम में प्रवे० हेतु पात्रता निम्न है—

4. बी.एड. (वि०ाष्ट िक्षा) कार्यक्रम में प्रवे० के लिए विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/मानविकी की स्नातक अथवा परास्नातक उपाधि में कम से कम 50 प्रति० अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त इंजोनियरिंग या तकनोकी, जिसमें विज्ञान एवं गणित की वि०षता हो, स्नातक अथवा परास्नातक में कम से कम 55 प्रति० अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अथवा इनके समतुल्य कोई अन्य अर्हता पाने वाले अभ्यर्थी प्रवे० के लिए पात्र होंगे।
5. बी.एड. (वि०ाष्ट िक्षा) कार्यक्रम में प्रवे० हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जा या तो किसी मान्यता प्राप्त वि०विद्यालय से अग्रांकित दो विषयों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किये हो अथवा अग्रांकित विषयों में से एक विषय स्नातक पर तथा एक विषय इण्टर स्तर पर लिये हों—हिन्दी, अंग्रेजी, भौतिक०ास्त्र, रसायन०ास्त्र, जन्तुविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, गृहविज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति०ास्त्र, मनोविज्ञान, समाज०ास्त्र, अर्थ०ास्त्र, तथा वाणिज्य।
6. प्रवे० परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को निम्न द०ाओं में से किसी एक या अधिक की पूर्ति करने पर अधिकतम 10 अंक का अधिभार दिया जायेगा।

(a) विकलांग बच्चे के माता-पिता हों। या,

(b) स्वयं विकलांग हो। या,

(c) RCI द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स किया हो।

अधिभार के अर्ह अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है कि वे (a) अधिकृत अधिकारी अर्थात् उत्तर प्रदेश के किसी जिले के जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत किया हुआ बच्चे का 40% या उससे अधिक विकलांगता का प्रमाण -पत्र (b) अधिकृत अधिकारी अर्थात् उ.प्र. के

किसी जिले के जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत किया हुआ स्वयं का 40% या उससे अधिक विकलांगता का प्रमाण-पत्र (c) RCI द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स का प्रमाण-पत्र/अंक -पत्र / आर.सी.आई. पजीकरण प्रमाण-पत्र के साथ उपलब्ध कराये।

नोट :-1. अर्हता दिनांक 01.07.2017 को पूर्ण होनी चाहिए एवं इस हेतु अंक पत्र/प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा।

2. उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पी.डब्लू.डी. एवं अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को ही उ0प्र0 शासन के प्रविधानों अनुसार आरक्षण एवं छूट प्राप्त होगी। अन्य प्रदेशों के पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रदेश अनारक्षित श्रेणी (Open category) के अन्तर्गत दिया जायेगा।

3. विकलांगता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए।

प्रवेश पद्धति-

बी.एड. (विशेष शिक्षा) कार्यक्रम में प्रवेश विविध विद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में प्रवेशार्थियों के द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर किया जायेगा। उत्तर प्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रमशः 21 प्रतिशत, 2 प्रतिशत तथा 27 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक की विकलांगता वाले विकलांग अभ्यर्थियों के लिए नियमानुसार 3 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध है। ऐसे अभ्यर्थियों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उत्तर प्रदेश की महिलाओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों एवं रक्षा कार्मियों/आश्रितों को उत्तर प्रदेश शासन के नियमानुसार आरक्षण देय होगा। **अभ्यर्थी को केवल on-line आवेदन पत्र पूर्ण सूचनाओं सहित भरना है तथा उसकी एक हार्ड कापी परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को अनिवार्य रूप से चालान द्वारा भुल्क जमा करने पर भुल्क चालान की विविध विद्यालय प्रति के साथ प्रेशित करना है। इसके साथ कोई भी संलग्नक अथवा अंकपत्रों अथवा प्रमाणपत्रों की प्रतियां नहीं लगानी है।** आवश्यक प्रमाण पत्र प्रवेश परीक्षा के उपरान्त बी.एड. (विशेष शिक्षा) प्रवेश हेतु काउन्सलिंग के समय जमा किये जायेंगे। प्रवेश परीक्षा का विवरण तथा प्रश्नों का नमूना आगे दिया गया है। प्रवेश परीक्षा केन्द्र के आवंटन का पूर्ण अधिकार विविध विद्यालय में निहित है।

प्रवेश साक्षात्कार में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को बुलाया जायेगा, जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की होगी एवं विविध विद्यालय द्वारा तय की गयी मेरिट लिस्ट के अन्दर होंगे। प्रवेश परीक्षा के आधार पर चयनित होने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परामर्श के समय प्रवेश पात्रता सम्बन्धी अपेक्षित मूल प्रमाणपत्रों एवं उनकी प्रतियाँ तथा कार्यक्रम शुल्क जमा करने पर ही उसका प्रवेश पूर्ण समझा जायेगा। प्रवेश परामर्श में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को ₹0 200/- परामर्श शुल्क के रूप में नगद जमा करने होंगे। परन्तु उ0प्र0 राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को ₹0 100/- परामर्श शुल्क के रूप में जमा करने होंगे। जमा परामर्श शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।

प्रवेश आवेदन-पत्र

कार्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को विविद्यालय की वेबसाइट www.uprtou.ac.in पर Entrance Exam के लिंक पर जाकर बी0एड0 (विशेष शिक्षा) प्रवेश-2017 के उपलिंक में जाकर निम्नानुसार ऑन लाइन आवेदन करना होगा-

1. अर्ह अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम विविद्यालय की वेबसाइट के सम्बन्धित लिंक में जाकर नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, कार्यक्रम का नाम, निवास एवं श्रेणी (सामान्य, अन्य पिछड़ वर्ग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) आदि वांछित सूचनाएं अपलोड करनी होगी।
2. वांछित सूचनाएं अपलोड करने के उपरान्त विद्यार्थियों को ऑन-लाइन पंजीकरण संख्या युक्त निर्धारित बैंक चालान प्राप्त होगा जिसका प्रिन्ट आउट प्राप्त करना होगा।
3. प्राप्त चालान के माध्यम से अभ्यर्थियों को चालान जनरेट के दूसरे दिन से सम्बन्धित बैंक में निर्धारित प्रवेश परीक्षा शुल्क जमा कर बैंक द्वारा चालान में प्रदत्त यूनिक नम्बर के साथ बैंक चालान की प्रतियों को बैंक से प्राप्त करना होगा। अभ्यर्थी निर्धारित प्रवेश परीक्षा शुल्क ऑन लाइन ट्रांसफर करके भी जमा कर सकते हैं।
4. पंजीकरण संख्या, जन्म तिथि आदि के चालान के यूनिक नं० की सहायता से अभ्यर्थी को पुनः उसी लिंक में जाकर प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र को जनरेट कर ऑन-लाइन वांछित सूचनाओं को अपलोड कर आवेदन करना होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अपना रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन कर प्रविष्ट करना होगा। पूर्ण सूचनाओं से युक्त आवेदन पत्र की हार्डकापी के साथ प्रवेश शुल्क जमा के चालान की विविद्यालय प्रति संलग्न कर केवल स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से अनिवार्य रूप से प्रेषित करना होगा। कोरियर द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र की हार्ड कापी दिनांक **24 जून 2017** सायं **5.00** बजे तक विविद्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदन पत्र की हार्डकापी बैंक चालान की मूल प्रति सहित निम्न पते पर भेजना है-

परीक्षा नियंत्रक, बी0एड0 (विशेष शिक्षा) प्रवेश-2017

उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विविद्यालय

शान्तिपुरम सक्टर एफ, फाफामऊ, इलाहाबाद-211021

प्रवेशी परीक्षा की तिथि, समय तथा परीक्षा केन्द्र की सूचना प्रवेशी पत्र पर अंकित की जायेगी एवं वि०वि०वि० की वेबसाइट www.uprtou.ac.in पर भी परीक्षा तिथि से एक सप्ताह पूर्व प्रदर्शित की जायेगी। प्रवेशी पत्र वि०वि०वि० की वेबसाइट www.uprtou.ac.in पर उपलब्ध रहेगा। प्रवेशी पत्र को अभ्यर्थी परीक्षा तिथि से 10 दिन पूर्व डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेशी परीक्षा केन्द्र के आबटन का पूर्ण अधिकार वि०वि०वि० में निहित है। किसी भी परीक्षा केन्द्र पर पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या 100 से कम होने पर उस परीक्षा केन्द्र को निरस्त किया जा सकता है और परीक्षार्थियों को अन्य परीक्षा केन्द्र पर स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। प्रवेशी परीक्षा में बैठने की अनुमति का अर्थ यह नहीं है कि अभ्यर्थी बी०एड० (वि०वि०वि०) में प्रवेशी सम्बन्धी पात्रता को पूर्ण करता है। प्रवेशी का आधार आवेदक के द्वारा सम्बन्धित कार्यक्रम की प्रवेशी पात्रता पूर्ण करने तथा आवेदक की प्रवेशी परीक्षा में मेरिट होगी। प्रवेशी परीक्षा के आधार पर औपबन्धिक रूप से चयनित होने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा प्रवेशी परामर्श के समय प्रवेशी पात्रता सम्बन्धी अपेक्षित मूल प्रमाण पत्रों व अंकपत्रों एवं उनकी छात्राप्रतियाँ तथा कार्यक्रम शुल्क जमा करने पर ही उनका प्रवेशी पूर्ण समझा जायेगा।

प्रवेशी परामर्श के समय प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्र व अन्य आवश्यक प्रमाणपत्रों (जाति प्रमाण पत्र को छोड़कर) के प्रारूप अन्त में उपलब्ध है।

प्रवेश परीक्षा शुल्क एवं कार्यक्रम शुल्क

बी०एड० (वि०वि०वि०) कार्यक्रम हेतु प्रवेशी परीक्षा शुल्क सामान्य व अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए रु० 1000/- एवं अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रु० 550/- हैं अभ्यर्थियों को प्रवेशी परीक्षा के इस शुल्क का भुगतान आनलाईन जनरेट किये गये चालान के माध्यम से अथवा ऑनलाइन ट्रांसफर से करना होगा। बी०एड० (वि०वि०वि०) कार्यक्रम शुल्क रु० 12000/- (रुपये बारह हजार मात्र) प्रतिवर्ष है, जो वि०वि०वि० द्वारा परिवर्तनीय होगी। प्रथम वर्ष में प्रवेशी के साथ प्रवेशीार्थी को शुल्क का भुगतान रु० 12000/- प्रवेशी परामर्श के समय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से करना होगा। बैंक ड्राफ्ट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत एवं वित्त अधिकारी, उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त वि०वि०वि०, इलाहाबाद के पक्ष में इलाहाबाद में देय हो। डिमाण्ड ड्राफ्ट के पीछे अभ्यर्थी अपना नाम व कार्यक्रम का नाम (अर्थात् बी०एड० वि०वि०वि० सत्र 2017-18) अवश्य लिख दें। अभ्यर्थियों को द्वितीय वर्ष के

शुल्क रु0-12000/- तथा शेष 6 माह का शुल्क रु0-6000/- अध्ययन केन्द्र के माध्यम से यथासमय जमा करना होगा।

प्रवेश परीक्षा

(B.Ed SE Admission Test)

बी0एड0 (विीष्ट िीक्षा) प्रवेी परीक्षा में निम्नांकित दो खण्ड होंगे—

प्रथम खण्ड – सामान्य मानसिक योग्यता (50 प्रतिीत अधिभार) तथा सामान्य जागरूकता (50 प्रतिीत अधिभार)

General Mental Ability (50% Weightage) and General Awareness (50 % Weightage)

द्वितीय खण्ड—विकलांग बच्चा के मनोविज्ञान एवं समस्याओं को समझना (40 प्रतिीत अधिभार) और दो िीक्षण विषयों में अवबोध (30 प्रतिीत अधिभार प्रत्येक विषय में)

Understanding of Problems and Psychology of the Disabled children (40% Weightage) and Understanding in two teaching Subjects (30 % Weightage to each Subject)

प्रथम खण्ड में आगमन व निगमन तर्क योग्यता, समस्या समाधान योग्यता, शाब्दिक व आंकिक योग्यता एवं प्रत्येक िीक्षित व्यक्ति से अपेक्षित सामान्य जानकारी (इतिहास, विज्ञान, राजनीति, साहित्य, संस्कृति, िीक्षा, समाज, अर्थीास्त्र, व्यापार, भूगोल पर्यावरण आदि क्षेत्रों की) से सम्बन्धित प्रीन होंगे। **द्वितीय खण्ड** में विकलांग, बच्चों के मनोविज्ञान एवं उनकी समस्याओं से सम्बन्धित प्रीन तथा दो विषयाँ (हिन्दी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी व सामाजिक विज्ञान में से कोई दो) के ज्ञान व अवबोध का मापन करने वाले प्रीन सम्मिलित होंगे।

प्रत्येक खण्ड में वस्तुनिष्ठ प्रकार के सौ-सौ प्रीन होंगे। परीक्षा की कुल अवधि 3 घण्टे होगी। अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारम्भ होने के 20 मिनट पूर्व अपनी सीट ग्रहण कर लेनी होगी। प्रवेी परीक्षा आरम्भ होने के 30 मिनट पीचात किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी। प्रवेी परीक्षा उत्तर पत्रक भरने के लिए अभ्यर्थी अपने साथ काला बाल पेन लायें। दोनों खण्डों में सम्मिलित किये जाने वाले प्रीनों के नमूने निम्नवत हैं—

प्रथम खण्ड

1- यदि कूट भाषा में SHYAM को RIXBL लिखेंगे तो RADHA को क्या लिखेंगे।

- (A) QBCIB
- (B) QACOB
- (C) DBCOB
- (D) RACIB

सही उत्तर

(A)

2- Which one of the following word has wrong spelling

- (A) Exite
- (B) Compare
- (C) Exact
- (D) Actual

सही उत्तर

(A)

3- पाइथागोरिस प्रेमय के अनुसार समकोण त्रिभुज में

- (A) $(\text{आधार})^2 = (\text{कर्ण})^2 + (\text{लम्ब})^2$
- (B) $\text{कर्ण} = \text{आधार} + \text{लम्ब}$
- (C) $(\text{लम्ब})^2 = (\text{आधार})^2 + (\text{कर्ण})^2$
- (D) $(\text{कर्ण})^2 = (\text{आधार})^2 + (\text{लम्ब})^2$

सही उत्तर

(D)

4- मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की?

- (A) अकबर
- (B) हुमायूँ
- (C) बाबर
- (D) शाहजहाँ

सही उत्तर

(C)

5- विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है?

- (A) बेरी-बेरी
- (B) रतौंधी
- (C) स्कर्वी
- (D) रिकेट्स

सही उत्तर

(C)

द्वितीय खण्ड

1. सामान्य व्यक्ति की IQ कितनी होती है?
 - (A) 70–90
 - (B) 90–110
 - (C) 110–130
 - (D) 50–70

सही उत्तर
(B)
2. किसी व्यक्ति की श्रवण क्षमता को मापने की इकाई का नाम है—
 - (A) फैदम
 - (B) किलोग्राम
 - (C) डेसिबल
 - (D) मीटर

सही उत्तर
(C)
3. एक दृष्टि बाधित मानसिक विकलांग बच्चा प्रभावपूर्ण ढंग से सीख सकता है यदि
 - (A) उसे अनुभवों के विभिन्न अवसर दिये जायें।
 - (B) उसे केवल सुनकर सिखाया जाये।
 - (C) उसे क्रियात्मक तरीके से सिखाया जाये।
 - (D) उसे अपने आप सीखने दिया जाये।

सही उत्तर
(C)
4. मंगोलिय (Down syndrome) होने के कारण है—
 - (A) अपर्याप्त भोजन
 - (B) गुणसूत्र अनियमितता
 - (C) मस्तिष्क
 - (D) दुर्घटना के द्वारा

सही उत्तर
(C)
5. डिसग्राफिया होता है—
 - (A) शब्दों को पढ़ने में कठिनाई
 - (B) शब्दों को लिखने में कठिनाई
 - (C) गणना करने में कठिनाई
 - (D) 1 और 2 दोनों

सही उत्तर
(C)
6. बहुसंवेदी उपागम से अभिप्राय है—

- (A) दृष्टि इन्द्रिय का उपयोग
 (B) श्रवण इन्द्रिय का उपयोग
 (C) अनेक इन्द्रियों का उपयोग सही उत्तर
 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं (C)
7. कक्षा में अध्यापक की सबसे आवश्यक भूमिका है—
 (A) सूचनाएं देना
 (B) क्षमताएं विकसित करना
 (C) सही उत्तर लिखने हेतु तैयारी कराना सही उत्तर
 (D) सीखने हेतु प्रेरणा देना (D)
- 8 . निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है?
 (A) रामचरित मानस
 (B) कवितावली
 (C) विनय पत्रिका सही उत्तर
 (D) रामचन्द्रिका (D)
9. Which one of the following word has the wrong spelling?
 (A) Lillipution
 (B) Limnology
 (C) Linguistics सही उत्तर
 (D) Liutesant (D)
10. एक पांसे को एक बार फेंका जाता है। संख्या 3 अथवा 4 के आने की प्रायिकता क्या है?
 (A) 3
 (B) $1/3$
 (C) 4 सही उत्तर
 (D) 2 (B)
11. "वृद्ध जल का पी0एच0 (ph) मान होता है—
 (A) 7
 (B) 7.5

(C) 6.5

सही उत्तर

(D) शून्य

(A)

12. निम्नलिखित दे"ों में कौन "सार्क" का सदस्य नहीं है?

(A) अफगानिस्तान

(B) थाईलैण्ड

(C) श्रीलंका

सही उत्तर

(D) मालदीव

(B)

प्रवे"ी परीक्षा के दोनों खण्डों के लिए एक उत्तर पत्रक उपलब्ध कराया जायेगा। जिन पर अभ्यर्थी को प्र"नों क उत्तर इंगित करने होंगे। प्रत्येक प्र"न के क्रमांक के आगे चार गोले, जिनमें क्रम"ी: A,B,C व D अक्षर मुद्रित होगा, दिये गये होंगे। प्रत्येक प्र"न को पढ़ने के उपरान्त अभ्यर्थी को सही उत्तर का चयन करना होगा तथा उत्तर पत्रक पर सम्बन्धित अक्षर वाले गोले को बाल पेन से पूरा काला करना होगा।

उत्तर इंगित करने का सही ढंग

(A)  (C) (D) सही ढंग

उत्तर इंगित करते समय ऐसा न करें

(A) (B) (C) (✓) गलत ढंग

(A) (B) (C) (x) गलत ढंग

(A) (B) (C)  गलत ढंग

(A)  (C)  गलत ढंग

परामर्श साक्षात्कार

प्रवे"ी परीक्षा का परिणाम घोषित होने के उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों का परामर्श साक्षात्कार इलाहाबाद में निर्धारित स्थान व तिथि के अनुसार होगा। अभ्यर्थी परामर्श साक्षात्कार हेतु वि"वविद्यालय की बेवसाइट www.uprtou.ac.in को देखते रहे जिस पर उन्हें सूचित किया जायेगा। परन्तु अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना परीक्षा परिणाम समाचार

पत्रों/विश्वविद्यालय की वेबसाइट से देख लें तथा प्रवेश हेतु चयनित होने पर परामर्श साक्षात्कार की तिथि, समय व स्थान ज्ञात कर लें। परामर्श साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थियों को सभी मूल प्रमाण पत्र, अंकपत्रों के साथ-साथ शपथपत्र व अन्य प्रमाण पत्र व उनकी छाया प्रतियां, व कार्यक्रम शुल्क के रूप में ₹0-12000/- का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा। परामर्श साक्षात्कार में निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थी का प्रवेश अधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा एवं प्रतीक्षा सूची से प्रवेश कर लिया जायेगा। परामर्श साक्षात्कार में विभिन्न अध्ययन केन्द्रों पर स्थानों की तथा आरक्षण नियमों के प्रतिबन्धों के अनुरूप प्रवेश परीक्षा की श्रेयता के अनुक्रम में अध्ययन केन्द्र आवंटित किए जायेगे। परामर्श साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले सामान्य व अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को ₹0-200/- परामर्श शुल्क के रूप में नगद जमा कराने होंगे जबकि उ०प्र० राज्य के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को ₹0-100/- परामर्श शुल्क के रूप में जमा करने होंगे जो किसी भी दशा में वापिस नहीं होंगे। उ०प्र० राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लाना होगा। अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश परामर्श के समय क्रिमीलेयर से न आच्छादित होने का अन्य पिछड़े वर्ग का जाति प्रमाण पत्र जो प्रवेश परामर्श की तिथि से छः माह के अन्दर का हो, लाना अनिवार्य होगा। इसके लिए उ०प्र० सरकार द्वारा लागू जाति प्रमाणपत्र ही मान्य होंगे।

पाठ्यक्रम का विवरण

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय का बी.एड. (विशेष शिक्षा) कार्यक्रम कुल 80 क्रेडिट का है जिससे विशेष शिक्षा के भावी अध्यापकों में उपयुक्त ज्ञान, कौशलों तथा अभिवृत्तियों को विकसित किया जा सके। बी.एड. (विशेष शिक्षा) कार्यक्रम को न्यूनतम दो वर्ष 6 माह के शैक्षिक वर्षों के अन्तर्गत पाँच सेमेस्टर में पूरा किया जाना अपेक्षित है।

बी.एड. (विशेष शिक्षा) कार्यक्रम की पाठ्य संरचना को पाँच सेमेस्टर में बाँटा गया है। कार्यक्रम की संरचना निम्नानुसार है—

B.Ed. SE. ODL PROGRAMME STRUCTURE

First Semester

Paper Nature		S.N.	Paper Code	Paper Title	Credits	Marks
Theory	Compulsory	1	B.Ed SE-01	Human Growth and Development	4	100
		2	B.Ed SE-02	Contemporary India and Education	4	100
		3	B.Ed SE-03	Introduction to Sensory Disabilities	2	50
		4	B.Ed SE-04	Introduction to Neuro Developmental Disabilities	2	50
		5	B.Ed SE-05	Introduction to Locomotor and Multiple Disabilities	2	50
Practical	Compulsory	6	B.Ed SE-PE01	Cross Disability and Inclusion (Part of area-B)	2	50

Second Semester

Theory	Compulsory	1	B.Ed SE-06	Learning Teaching and Assessment	4	100
		2	B.Ed SE-07	Inclusive Education	2	50
	Elective (Any one)	3	B.Ed SE-71	Assessment and Identification Of Needs(HI)	4	100
			B.Ed SE-81	Assessment and Identification Of Needs(VI)	4	100
			B.Ed SE-91	Assessment and Identification Of Needs(MR)	4	100
	Elective (Any one)	4	B.Ed SE-31	Pedagogy of Hindi Teaching	4	100
			B.Ed SE-32	Pedagogy of English Teaching	4	100
			B.Ed SE-33	Pedagogy of Maths Teaching	4	100
			B.Ed SE-34	Pedagogy of Biological Sciences Teaching	4	100
Practical	Compulsory	5	B.Ed SE-PE-02	Disability Specialization (Part of area C)	2	50

Third Semester

Theory	Elective (Any one)	1	B.Ed SE-72	Curriculum Design Adaptation and Evaluation(HI)	4	100
			B.Ed SE-82	Curriculum Design Adaptation and Evaluation(VI)	4	100
			B.Ed SE-92	Curriculum Design Adaptation and Evaluation(MR)	4	100
	Elective (Any one)	2	B.Ed SE-73	Intervention and Teaching Strategies (HI)	4	100
			B.Ed SE-83	Intervention and Teaching Strategies (VI)	4	100
			B.Ed SE-93	Intervention and Teaching Strategies (MR)	4	100
	Elective (Any one)	3	B.Ed E-41	Pedagogy of Social Studies Teaching	4	100
			B.Ed E-42	Pedagogy of Physical Sciences Teaching	4	100
			B.Ed E-43	Pedagogy of Commerce Teaching	4	100
			B.Ed E-44	Pedagogy of Home Science Teaching	4	100
Practical	Compulsory	4	B.Ed SE-PE-03	Part II Disability Specialization (Part of area C)	4	100

Fourth Semester

Theory	Elective (Any one)	1	B.Ed SE-101	Guidence and Councelling	2	50
			B.Ed SE-102	Childhood care and Education	2	50
			B.Ed SE-103	Applied Behavior Analysis	2	50
	Elective (Any one)	2	B.Ed SE-104	Community Based Rehabilitation	2	50
			B.Ed SE-105	Application of ICT in Classroom	2	50
			B.Ed SE-106	Gender and Disability	2	50
	Elective (Any one)	3	B.Ed SE-107	Braille and Assistive Devices	2	50
			B.Ed SE-74	Technology and Disability : HI	4	100
			B.Ed SE-84	Technology and Education of the Visually Impaired	4	100
			B.Ed SE-94	Technology and Disability : MR	4	100
			B.Ed SE-75	Psycho Social and Family Issue :HI	2	50
			B.Ed SE-85	Psycho Social and Family Issue :VI	2	50
			B.Ed SE-95	Psycho Social and Family Issue :MR	2	50
Practical	Compulsory	4	B.Ed SE-PE-04	Main Diability Special School Related area C	4	100
		5	B.Ed SE-PE-05	Reading and Reflecting on texts	2	50
		6	B.Ed SE-PE-06	Drama and Art in Education	2	50

Fifth Semester

Theory	Compulsory	1	B.Ed SE-08	Basis Research and Basic Statictis	2	50
	Elective (Any one)	2	B.Ed SE-111	Orientation and Mobility	2	50
			B.Ed SE-112	Communication Options: Oralism/ Aural Rehabilitation and Auditory Approch	2	50
			B.Ed SE-113	Communication Options: Manual Options	2	50
			B.Ed SE-114	Management of Learning Disability	2	50
			B.Ed SE-115	Vocational Trainging, Transition and job Placement	2	50
Practical	Compulsory	3	B.Ed SE-PE-07	Field Engagement/ Internship-Other disability special school (Realated to area C)	4	100
		4	B.Ed SE-PE-08	Field Engagement/ Internship-Other disability special school (Realated to area B)	4	100
		5	B.Ed SE-PE-09	Field Engagement/Internship-Inclusive Education (Related to area B & C)	4	100

शिक्षण पद्धति

बी.एड. (विीष्ट िक्षा) पद्धति में बहुमाध्यम दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है अर्थात् स्व-अध्ययन मुद्रित सामग्री, श्रव्य/दृश्य कार्यक्रम तथा प्रयोगात्मक कार्य के द्वारा अनुदेान किया जायेगा। बी.एड. (विीष्ट िक्षा) हेतु अनुदेात्मक पद्धति में निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

1. स्व-अनुदेात्मक मुद्रित सामग्री
2. श्रव्य दृश्य एवं अन्य इलेक्ट्रानिक अनुदेान
3. परामर्ी सत्र
4. अधिन्यास कार्य
5. प्रयोगात्मक कार्य
6. अभ्यास िक्षण

सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी का िक्षण में वृहद रूप में प्रयोग किया जायेगा। विीविद्यालय िक्षा में निीचत िक्षण विधि का उपयोग पाठ्यक्रम विकास में किया जायेगा। आवयक सुविधाएं— अध्यापकगण/परामर्ीदाता, भौतिक संसाधन, प्रयोगाला, पुस्तकालय इत्यादि विीविद्यालय के मुख्य परिसर तथा अध्ययन केन्द्रों पर उपलब्ध रहेंगी।

मूल्यांकन पद्धति

बी.एड. (विीष्ट िक्षा) कार्यक्रम में सत्रीय प्रणाली को अपनाया गया है। विभिन्न प्रन-पत्रों के लिए मूल्यांकन में निम्नलिखित तीन पक्ष सम्मिलित रहते हैं—

1. स्व-मूल्यांकन अभ्यास (परीक्षा में कोई अधिभार नहीं)
2. आवधिक सत्रीय कार्य (अधिन्यास कार्य परीक्षा में 30 प्रतिात अधिभार)
3. सत्रान्त परीक्षा (परीक्षा में 70 प्रतिात अधिभार)

प्रत्येक प्रनपत्र/प्रनपत्रों के परामर्ी एवं सम्पर्क िक्षण परामर्ी कार्यक्रम में कम से कम 80 प्रतिात तथा प्रीक्षण/कार्याला/िक्षण अभ्यास/इण्टर्ीप में कम से कम 90 प्रतिात उपस्थिति रखने तथा अधिन्यास प्रस्तुत करने पर ही िक्षार्थी को सत्रांत परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी। िक्षार्थी को प्रन-पत्र विीष के अधिन्यास तथा सत्रान्त परीक्षा में अलग-अलग न्यूनतम 36 प्रतिात अंक पाने पर उस प्रन-पत्र में उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा। सभी प्रन-पत्रों को सफलतापूर्वक उत्तीण करने पर िक्षार्थी को अन्तिम सत्र के अन्त में उसके प्राप्तांकों के आधार पर सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए अलग-अलग श्रेणी प्रदान की जायेगी—

प्रथम श्रेणी	— 60 प्रतिशत या अधिक
द्वितीय श्रेणी	— 48 प्रतिशत या अधिक परन्तु 60 प्रतिशत से कम
तृतीय श्रेणी	— 36 प्रतिशत या अधिक परन्तु 48 प्रतिशत से कम

परन्तु विकल्प आधारित क्रेडिट व्यवस्था के अन्तर्गत विविद्यालय की सामान्य नीति के अनुसार ग्रेडिंग सिस्टम को अपनाया जा सकता है। किसी सेमेस्टर के किसी प्रश्न पत्र/किन्हीं प्रश्न पत्रों की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने या सम्मिलित न होने पर शिक्षार्थी उस प्रश्न पत्र/उन प्रश्न पत्रों में उस सेमेस्टर की आगामी सत्रान्त परीक्षा में बैक परीक्षार्थी के रूप में बैठ सकता है परन्तु किसी भी दशा में कोई भी शिक्षार्थी एक सत्रीय परीक्षा में अधिकतम तीन प्रश्नपत्रों में ही बैक परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित हो सकेगा। इस हेतु उसे परीक्षा आवेदन पत्र भरकर वांछित शुल्क के साथ जमा करना होगा। प्रयोगात्मक परीक्षा के प्रश्नपत्रों के बैक पेपर की परीक्षा निर्धारित परीक्षा के साथ ही सम्भव होगी। प्रवेश लेने की तिथि से पाँच वर्ष के अन्दर शिक्षार्थी को समस्त प्रश्न पत्र (अनिवार्य, वैकल्पिक एवं प्रयोगात्मक) उत्तीर्ण करने होंगे।

अध्ययन केन्द्र एवं परीक्षा केन्द्र

प्रवेश परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मेरिट एवं आरक्षण प्रावधानों के अनुरूप अध्ययन केन्द्रों का आबंटन प्रवेश परामर्श प्रक्रिया के समय सुनिश्चित किया जायेगा। प्रवेश परामर्श प्रक्रिया की सूचना विविद्यालय को बेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की सूची भी बेबसाइट पर उपलब्ध होगी। विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विविद्यालय की बेबसाइट का अवलोकन करते रहें। विविद्यालय द्वारा आवंटित अध्ययन केन्द्र किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं किये जायेगे। अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम की सत्रांतर परीक्षा विविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर ही देनी होगी। विशेष परिस्थितियों में रु0 800/—शुल्क देकर परीक्षा केन्द्र परिवर्तन सम्भव है। परन्तु यह परिवर्तन प्रयोगात्मक परीक्षा में लागू नहीं होगा।

अति महत्वपूर्ण निर्देश

- केवल उ0प्र0 राज्य में मूल रूप से निवास करने वाले अभ्यर्थियों को ही जाति आदि सम्बन्धी आरक्षण लाभ देय होगा। अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन करना होगा।
- बी0एड0 (विीष्ट िक्षा) कार्यक्रम में प्रवेी हेतु समस्त वांछित सूचनाओं के साथ आनलाइन भरे आवेदन पत्र की कम्प्यूटर जनरेटेड हार्डकापी परीक्षा नियंत्रक, बी0एड0 (विीष्ट िक्षा) प्रवेी-2017 उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विीविद्यालय शान्तिपुरम सेक्टर-एफ फाफामऊ, इलाहाबाद 211021 को पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट से जमा शुल्क की विीविद्यालय प्रति सहित भेजे। किसी अन्य माध्यम से भेजा हुआ आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा।
- प्रवेी परीक्षा आवेदन पत्र सावधानी से सम्पूर्ण वांछित सूचनाओं सहित भरें। किसी भी त्रुटि के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- प्रवेी हो जाने के उपरान्त प्रवेीार्थियों को आवंटित अध्ययन केन्द्र पर परामी कक्षाओं व अन्य शैक्षणिक क्रियाकलापों में अपनी उपस्थिति सुनिीचत करना होगा।
- प्रवेी के समय अधिन्यास प्रनपत्र के प्राप्त होने पर अथवा अध्ययन केन्द्र से प्राप्त कर अधिन्यास कार्य से सम्बन्धित पुस्तिकाएं निर्धारित तिथि तक या उसके पूर्व केन्द्र समन्वयक को मूल्यांकन हेतु अवय उपलब्ध करा दें। अधिन्यास कार्य पुस्तिकाओं के अन्तिम तिथि तक प्राप्त न होने पर आपका सत्रांत परीक्षा प्रवेी पत्र निर्गत नहीं होगा। विभिन्न तिथियों की जानकारी विीविद्यालय की बेबसाइट www.uprtou.ac.in या अध्ययन केन्द्र समन्वयक से प्राप्त करें।
- प्रवेी हो जाने पर विीविद्यालय से पत्र व्यवहार अध्ययन केन्द्र के माध्यम से ही करें। आप द्वारा सीधे प्रेषित पत्र चाहें वह रजिस्टर्ड अथवा स्पीड पोस्ट ही क्यों न हो विीविद्यालय द्वारा संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

विकलांग अभ्यर्थी

1. नेत्रहीन परीक्षार्थी के लिए परीक्षा का समय वि० वि० वि० द्वारा नियमानुसार अतिरिक्त समय देने का प्रावधान किया गया है। (यू०जी०सी० के निर्देश बिन्दु संख्या—xi के समान)
2. किसी भी परीक्षार्थी को विशेष सुविधा नहीं प्रदान की जा सकती है जब तक कि कुलपति महोदय की पूर्व अनुमति उनके सम्बन्ध में न हो। श्रुति लेखक की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही इसकी व्यवस्था संभव हो सकेगी। (यू०जी०सी० के निर्देश बिन्दु संख्या iv के समान)
3. विकलांग परीक्षार्थियों की परीक्षा भूतल पर कराने हेतु विशेष सुविधा (यू०जी०सी० के निर्देश बिन्दु संख्या xiii के समान)
4. 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग परीक्षार्थियों के पूर्व अनुरोध पर लिपिक/पाठ्य प्रयोग सहायक की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। (यू०जी०सी० के निर्देश बिन्दु संख्या (I) के समान)

नोट— निम्नलिखित अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे प्रवेश परीक्षा के दौरान अपेक्षित सुविधा के लिए 10 दिन पूर्व पत्र के माध्यम से अथवा अन्य तरीके से आवेदन कर दें जिससे कुलपति जी की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये। चक्षु विकलांग अभ्यर्थी परीक्षा से 10 दिन पूर्व परीक्षा केन्द्र के व्यवस्थापक से श्रुति लेखक का नाम अनुमादित करा लें। श्रुति लेखक सत्र 2015-16/2016-17 हाईस्कूल/इण्टर में सम्मिलित अभ्यर्थी हो सकता है जिसकी अंकतालिका व फोटो को प्रार्थना पत्र के साथ परीक्षा केन्द्र व्यवस्थापक को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

बी०एड० (विशिष्ट शिक्षा) पाठ्यक्रम हेतु शपथपत्र का प्रारूप

नोट— निम्न शपथ पत्र प्रारूप को रू. 10/- के नान ज्यूडिशियल शपथ पत्र पर नोटरी द्वारा प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करें। जो लागू न हो उसे काट (x) दें।

समक्ष,

समन्वयक, बी०एड० (विशिष्ट शिक्षा) प्रवेश समिति
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि—

1. मैंने विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा वर्ष में प्रतिभा अंकों के साथ उत्तीर्ण की है।
2. मैंने विश्वविद्यालय से परास्नातक परीक्षा वर्ष में प्रतिभा अंकों के साथ उत्तीर्ण की है।
3. मैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय के बी०एड० (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह हूँ। यदि भविष्य में यह ज्ञात होता है कि मैं प्रवेश हेतु अर्ह नहीं था/थी तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा स्वयं का होगा एवं विश्वविद्यालय द्वारा मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा व मेरे द्वारा जमा शुल्क की समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा जमा की गयी किसी भी धनराशि का विश्वविद्यालय से वापस पाने का मैं कोई दावा नहीं करूंगा/करूंगी।
4. बी०एड० (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रम सत्र 2017-18 में प्रवेश हेतु मेरे द्वारा दी गई समस्त सूचनाएं मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।

दिनांक

शपथकर्ता के पूर्ण हस्ताक्षर

स्पष्ट शब्दों में नाम
पूर्ण पता

प्रतिरक्षा कर्मचारी एवं उनके पुत्र/पुत्री/पत्नी के लिए प्रमाण-पत्र का प्रारूप

प्रमाण पत्र

(अ) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./श्रीमती एक प्रतिरक्षा कर्मचारी/अधिकारी है जिनका रैंक है तथा नम्बर है जो कि सक्रिय सेवारत हैं अथवा सक्रिय सेवारत थे अथवा ससम्मान सक्रिय सेवा से अवकाश प्राप्त किया। श्री/कु./श्रीमती इनके पुत्र/पुत्री/पत्नी है।

ऑफिसर कमाण्डेण्ट अथवा सेक्रेटरी सोलजर्स

बोर्ड के हस्ताक्षर एवं मोहर

दिनांक

अधिकारी का पूरा नाम

(स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित पुत्र या पुत्री या पुत्र का पुत्र या पुत्र की
अविवाहित पुत्री से सम्बन्धित प्रमाण पत्र)

प्रमाण पत्र

(अ) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./* पुत्र/पुत्री श्री.....
.....निवासी.....स्वतंत्रता
संग्राम सेनानी श्री/श्रीमती**निवासी.....
.....का आश्रित*** है।

डी.एम./ए.डी.एम.

हस्ताक्षर मोहर सहित

दिनांक

अधिकारी का पूरा नाम

नोट—साथ में जिलाधिकारी प्रदत्त प्रमाण—पत्र एवं पेंशन पुस्तिका की सत्यापित फोटो कापी भी
अवश्यक संलग्न करें।

* यहाँ आश्रित का नाम लिखा जाये।

** यहाँ स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिखा जाये

*** यहाँ स्वतंत्रता सेनानी का आश्रित के साथ सम्बन्ध लिखा जाये।

डी०एम० या ए०डी०एम० का प्रमाण—पत्र आवश्यक है।